

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक:- एफ 5()/एसीटीएडी/माडा/बजट/भीलवाड़ा 275(1)/2019-20/ दिनांक:- 10/1/20
14270-82

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद,
भीलवाड़ा।
- उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाड़ा।

विषय:- सामुदायिक भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा एवं उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा से निम्नांकित कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है के आधार पर कॉलम संख्या-2 में वर्णित कार्य हेतु कॉलम संख्या-8 में अंकित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है :-

कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत

(राशि लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम	ग्रा.प./पं.स.	पंचायत समिति	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
				क्र/दि	राशि	क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सामुदायिक भवन निर्माण भीलों की बस्ती, ग्राम नाथड़ियास	नाथड़ियास	रायपुर	10264-70 23.02.2019	5.00	AEN/PS Raipur/ 133 / 07.08.19	5.00
2.	सामुदायिक भवन निर्माण भीलों की बस्ती, ग्राम पनोतिया	नाथड़ियास	रायपुर	10264-70 23.02.2019	5.00	AEN/PS Raipur/ 134 / 08.07.19	5.00
3.	बारादरी निर्माण पानी की टंकी के पास में मसोटिया	मसोटिया	तलवाड़ा	44465-71 05.12.2019	5.00	AEN/PS Talwara/ 1471 / 23.12.2019	5.00
4.	बारादरी निर्माण माताजी मंदिर के पास सामागड़ा, मसोटिया	मसोटिया	तलवाड़ा	44465-71 05.12.2019	5.00	AEN/PS Talwara/ 1472 / 23.12.2019	5.00
	योग				20.00		20.00

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय जिला परिषद चुरु से प्राप्त अनटाईड राशि रुपये 27.18 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।

कृ.पू.उ.

कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। आर.सी.सी फ़ेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जावे।
4. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@rajasthan.gov.in पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
6. गुणवत्तापूर्वक कार्य सम्पादन हेतु तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
7. सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर पट्टायुक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर प्रारंभ कराया जावे। प्रस्तावित सामुदायिक भवन से अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित हो।

-sd.
(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) I.A.S
आयुक्त

क्रमांक:-एफ 5()/एसीटीएडी/माडा/बजट/भीलवाड़ा 275(1)/2019-20/ दिनांक:-
14270-82 10/4/20
प्रतिलिपि -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा/बांसवाड़ा।
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा) जिला परिषद, भीलवाड़ा।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा जिला परिषद् चुरु से प्राप्त अनटाईड राशि रुपये 27.18 लाख में से जिला परिषद, भीलवाड़ा को राशि 10.00 लाख व उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा को राशि रुपये 10.00 लाख हस्तान्तरित करावे।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति रायपुर, जिला भीलवाड़ा।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति तलवाड़ा जिला बांसवाड़ा।
8. निदेशक, मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा/ अभियंत्रिकी शाखा, कार्यालय हाजा।
9. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फ़ैक्स : 0294-2428721
Com, Website www.tad.rajasthan.gov.in ई-मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in